कर्नाटक राज्य

बनाम

खातू हनुमंतराय

9 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, न्यायधीशगण]

दंड संहिता, 1860; धारा 302 और 304 भाग-2:

हत्या के आरोपी ने अपने बहनोई को आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई- मृत्यु कालिक कथन- परीक्षण अदालत ने उसे धारा 302 आई.पी.सी. का अपराध करने का दोषी पाया तदनुरूप दण्डित किया- उच्च न्यायालय ने अपील पर दोषसिद्धि धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित की, निर्धारित: उच्च न्यायालय पाया कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि मृतक को आग लगाने से उसने वह कृत्य किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो सकती है।- इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की धारा 302 आई.पी.सी. की दोषसिद्धि से धारा 304 भाग 2 की दोषसिद्धि में इसके लिए कोई कारण बताए बिना बदलाव करना उचित नहीं था। -इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश समपुष्टि योग्य नही है, तदनुरूप अपास्त किया जाता है।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, म्रत्यु कालिक कथन एवं गवाहों के बयानों

पर विश्वास करने के बाद, क्या उच्च न्यायालय अभियुक्तों की दोषसिद्धि को धारा 302 आई. पी.सी.से धारा 304 भाग 2 आई. पी.सी. में बदलने में सही था।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्धारत किया:-

1. 1.मृत्यु कालिक कथन से पता चलता है कि जब मृतक ने अपनी पत्नी से पूछताछ की कि आरोपी की बहन कौन है तो आरोपी क्रोधित हो गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी को मारने के लिए कोई पूर्व विचार नहीं था और भर्तसना से आरोपी ने नियंत्रण खो दिया और मृतक का पीछा किया और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी; और यह कि आरोपी को पता था कि उसकी कार्रवाई से निश्चित रूप से मृतक की मौत हो जाएगी। इन विवेचना पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत आता है न कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत। [पैरा 4] [191-बी, सी

1. 2.विवादित आदेश बहुत भ्रमित करने वाला है, मस्तिष्क का प्रयोग प्रकट नहीं करता है और यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने क्यों महसूस किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आता है न कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत। चूंकि व्यावहारिक रूप से निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर

है और इसलिए इसे अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया जाता है और कठोर आजीवन कारावास से दण्डित किया जाता है।[पैरा 5] [191-डी, ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः 2002 की आपराधिक अपील सं. 995,996।

आपराधिक अपील सं. 544/1998 और 330/1998 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के दिनांकित 20.3.2001 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध।

अपीलार्थी की ओर से संजय आर. हेगड़े, अनिल के. मिश्रा और अमित के. चावला।

प्रत्यर्थी के लिए के. शारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत न्यायाधीश द्वारा दिया गया

1. इन अपीलों में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले को दी गई है।गवाहों के साक्ष्य और दर्ज किए गए मृत्यु कालिक कथन पर विश्वास करते हुए विवादित निर्णय दिया, उच्च न्यायालय का विचार था कि अभियुक्त प्रतिवादी की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय थी, न कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत। चूंकि

गवाहों के साक्ष्य और मृत्यु कालिक कथन को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए एकमात्र सवाल जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में उचित था कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II से संबंधित है न कि आई. पी. सी. की धारा 302 से।

2. कर्नाटक राज्य निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाता है।प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने विवादित फैसले का समर्थन किया।

3. उच्च न्यायालय द्वारा इंगित एकमात्र कारण निम्नानुसार हैः

> "Ex.P.10 पर पूरा विवरण इंगित करता है कि जब मृतक ने अपनी पत्नी जो आरोपी की बहन है, से पूछताछ की तो आरोपी बौखला गया, ।इससे पता चलता है कि मृतक को मारने के लिए आरोपी के लिए कोई पूर्वचिंतन या कोई मकसद नहीं है।चेतावनी को देखकर आरोपी ने नियंत्रण खो दिया और अपने बहनोई का पीछा किया तथा केरोसिन डाल कर जला दिया ।लेकिन ऐसा करने से, उन्हें पता था कि यह कार्रवाई निश्चित रूप से उनके बहनोई की मृत्यु कारित करेगी ।उनको कार्यों का ज्ञान था यह स्पष्ट रूप से अभिलेख से प्रकट है। इसलिए, अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत नहीं आता है,

लेकिन यह आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आने वाला अपराध है।"

4. उच्च न्यायालय का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है और दिमाग के अनुप्रयोग का खुलासा नहीं करता है।यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का पीछा क्यों करेगा जिसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था और फिर उसे आग लगा देगा।मृत्यु कालिक कथन से पता चलता है कि जब मृतक ने अपनी पत्नी से पूछताछ की कि आरोपी की बहन कौन है तो आरोपी बौखला गया।उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी को मारने के लिए कोई पूर्वचिंतन नहीं था और चेतावनी को देखकर आरोपी ने नियंत्रण खो दिया और मृतक का पीछा किया और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी।उच्च न्यायालय का विचार था कि अभियुक्त को पता था कि उसकी कार्रवाई निश्चित रूप से मृतक की मृत्यु कारित करेगी ।इस विवेचना पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आता है न कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत।

5. आक्षेपित आदेश बहुत भ्रमित करने वाला है, दिमाग के अनुप्रयोग का खुलासा नहीं करता है और यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने क्यों महसूस किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आता है न कि धारा302 के तहत।चूंकि व्यावहारिक रूप से निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय

का आदेश स्पष्ट रूप से समपुष्टि योग्य नही है। हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं।अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया जाता है और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

एसकेएस.

अपीलों को स्वीकार किया गया ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी रविन्द्र कुमार माहेश्वरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।